न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरणं क्रमांक /2015 जिला–दमोह

निशानी 2567-II-15

1. लक्ष्मीदेवी वैवा नारायणसिंह राजपूत, निवासी पुराना बाजार, वार्ड नं.1 दमोह, जिला दमोह
2. फूलरानी वैवा माधव पटेल,
3. सुनील पुत्र स्व. माधव पटेल, निवासीगण दुबातला, मागंज वार्ड नं.5, दमोह, जिला दमोह
4. भीषम पुत्र श्री तीरथ,
5. जीवन पुत्र श्री तीरथ
6. मोटू पुत्र श्री तीरथ, निवासी भदौली, तहसील व जिला दमोह (म.प्र.) ..... आवेदकगण

विरूद्ध

कमलाबाई पति मुकुन्दीराम, निवासी बजारिया वार्ड नं.4, दमोह, जिला दमोह (म.प्र.)

.....अनावेदक

<u>न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल हिण्डोरिया, तहसील दमोह द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1. यहकि, ग्राम भदौली पटवारी हल्का नं.32/36 में स्थित भूमि खसरा नं. 354, 365 रकवा क्रमशः 0.52, 0.87 का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र भूमिस्वामी कमलाबाई पति मुकुन्दीराम के पुत्र नारायण बल्द मुकुन्दीराम द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल, हिण्डोरिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
2. यहकि, उक्त भूमि खसरा नं.354 रकवा 0.52 है. का प्रकरण पूर्व से न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने से उक्त सर्वे नम्बर का सीमांकन नहीं किया गया, किन्तु खसरा नं.365 रकवा 0.84 है. का सीमांकन किया गया। जिसमें सरहदी कृषकों एवं विवादित भूमि से लगी हुयी भूमि के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2567-दो/2015 जिला दमोह लक्ष्मीदेवी विरूद्ध कमलाबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक हिण्डोरिया तहसील दमोह के प्रकरण क्रमांक 04/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 12-07-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी दमोह को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी दमोह के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 01/02/2019 सदस्य	